न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 232/2019

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. संजय पुत्र बाबुलाल 2. प्रकाश पुत्र सोहनराम जाट नाबालिग जरिये वली पिता सोहनराम पुत्र कुनाराम जाट, निवासी आसोप तह0 भोपालगढ जिला जोधपुर		1. कानूडी देवी पत्नी मोहनराम जाट, निवासी आसोप तह0 भोपालगढ जिला जोधपुर 2. अचन कंवर पत्नी रेवतसिंह राजपूत निवासी कुकड़दा तह0 भोपालगढ, जिला जोधपुर 3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 37/2018 आदेश दिनांक 18.11.19

उपस्थिति –
1. श्री जगदीश प्रजापत वकील अपीलांट
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 3 की ओर से
3. रेस्पो0सं0 1 व 2 बावजूद सूचना एवं नोटिस के अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 24.07.2024

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 131 राज0 भू–राजस्व अधि0, 1956 प्रस्तुत कर तहसील भोपालगढ के ग्राम आसोप चक प्रथम स्थित अपने खातेदारी खसरा नं0 573/1 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि का राजस्व रेकर्ड के अनुसार नक्शा ट्रेश में तरमीम, मौके पर नाप व सीमांकन करने तथा नेखम पैमाईश जरिये पत्थरगढी करवाने हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2019 द्वारा स्वीकार कर प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 व 2 के उल्लेखित खसरान की भूमि पर सीमांकन एवं पत्थरगढी/नेखमबंदी करवाने का आदेश पारित किया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

रेस्पो0सं0 1 व 2 बावजूद नोटिस तामिल/सूचना के अनुपस्थित रहने से बहस एकतरफा सुनी गई। दौरान बहस अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि ग्राम आसोप चक प्रथम की सीमा में खसरा नं0 573/1 की भूमि प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमि कटाणी सार्वजनिक रास्ते के चिपती दक्षिणी तरफ आई हुई है। वादग्रस्त भूमि के दक्षिणी तरफ खसरा नं0 573/2 अपीलांट–अप्रार्थी सं0 2 की तथा खसरा नं0 573 अपीलांट–अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि ग्राम आसोप के मूल खसरा नं0 573 का भाग है, जिसका बंटवारा आज से 40 वर्ष पूर्व हो चुका है। उक्त खसरान के दो खातेदार माधोसिंह व रेवन्तसिंह थे तथा दोनों भाईयों ने आपसी सहमति से उक्त खसरान का 1/2 हिस्सा में बंट पूर्व से पश्चिम दिशा में किया गया। जिसमें रेवंतसिंह ने अपना बंट उत्तरी दिशा में तथा दक्षिणी हिस्सा माधोसिंह का बंट रखा गया। दोनों खेतों के मध्य माठे कायम कर, धोरा डाल दिया गया, जिस पर पुराने वृक्ष लगे हुए है। खातेदार रेवंतसिंह ने अपने हिस्से में से आधा हिस्सा प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 को बेचान कर दिया, जिस पर अलग से कब्जा काश्त है तथा वक्त खरीद से माठ कायम है। सभी खातेदार खसरा नं0 573/1, 573/2 व 573 की भूमि पर बंट के अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। उक्त खसरान की भूमि का जमाबंदी में अलग से बट्टा नम्बर दर्ज कर अलग–अलग खातेदारी में इन्द्राज कर दी गई, किंतु नक्सा ट्रेस में पक्षकारों के काश्त के अनुसार तरमीम नही की गई है। प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 व 2 द्वारा अपीलाधीन आदेश की आड़ में पुरानी माठे व वृक्षों को हटवाना चाहता है, जो बिना कानूनी प्रक्रिया के नही हटाया जा सकता है। मौके पर पक्षकारों का अलग से कब्जा व काश्त है, जिसको पत्थरगढी के आदेश द्वारा बेदखल नही किया जा सकता है। इसके अलावा सीमांकन एवं पत्थरगढी से पूर्व पडौसी खातेदारों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है, जबकि इस मामले में पडौसी खातेदारों को पक्षकार नही बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0 सं0 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपने खातेदारी खसरा नं0 573/1 का राजस्व रेकर्ड अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम, मौके पर नाप व सीमांकन तथा पत्थरगढी करवाने हेतु आग्रह किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त खसरान की भूमि नक्शें में तरमीमशुदा नही होने के उपरांत भी सीमांकन एवं पत्थरगढी का आदेश पारित कर दिया गया है, जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

रेस्पो0सं0 3 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह प्रकट है कि अपीलाधीन खसरान की भूमि ग्राम आसोप के मूल खसरा नं0 573 का भाग है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौजूद जमाबंदी संवत् 2060–63 के अनुसार ख0नं0 573/1, 573/2 व 573 अपीलांट व रेस्पो0सं0 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र तथा वर्तमान अपील में उल्लेखित तथ्यों के अनुसार उक्त खसरान की भूमि बंटवारे के अनुसार मौके पर कब्जाकाश्त व जमाबंदी में अलग से बट्टा नम्बर में दर्ज है, किंतु नक्सा ट्रेस में तरमीमशुदा नही है। इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना लट्ठा ट्रेस में तरमीम के सीमांकन एवं पत्थरगढी का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट्स स्वीकार योग्य पायी जाने से तद्नुसार स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ (जोधपुर) द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 37/2018 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2019 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24 जुलाई, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

24.07.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर